

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

200

भाग- 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या :- FP/CG/ROAD/24943/2017 Dt. 21-06-2017

7.	परियोजना/स्कीम का स्थान	आवेदक संस्थान परियोजना प्रबंधक छ.ग.सडक विकास निगम लि. रायपुर द्वारा परिक्षेत्र डौण्डी लोहारा, के अंतर्गत लोहारा - रेंगाडबरी - जुन्नापानी-चौकी-मार्ग-चौडीकरण-उन्नयनीय करण हेतु प्रस्तावित है जो कि, आदिवासी बहुल क्षेत्र में बसे आदिवासियों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा,।
(1)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(2)	जिला	बालोद
(3)	वन प्रभाग	बालोद वनमण्डल बालोद
(4)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र है	5.530 हेक्टेयर
(5)	वन की कानूनी स्थिति	1. आरक्षित वन रकबा - 4.44 2. संरक्षित वन रकबा - 1.090 3. राजस्व वन का रकबा- 0.00 कुल - 5.530
(6)	हरियाली का घनत्व	.5 साईड क्वालिटी IVa, IVb
(7)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल.-2 मी. परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मी. भी संलग्न किये जाए ।	प्रस्तावित मार्ग लोहारा रेंगाडबरी जुनापानी चौकी मार्ग निर्माण हेतु वृक्ष विदोहन प्रस्तावित है।
(8)	भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू-क्षरण के लिये संवेदनशील नहीं है।
(9)	वनेत्तर प्रयोग के लिये स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी.	परिक्षेत्र डौण्डी अंतर्गत नारंगी वनखण्ड कामता रकबा 11.060 प्रस्तावित किया गया है।
(10)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वर्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	नहीं
(11)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ।	नहीं
(12)	क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं

201

8.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरे सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 एवं भाग-2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता से सहमत हूँ।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम पृष्ठ क्र. 143 से 178 तक संलग्न है
(1)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र 5.530 हे. के बदले दुगुने क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु बालोद वनमण्डल के परिक्षेत्र डौण्डी अंतर्गत ग्राम कामता रकबा 11.060 क्षेत्र चयनित किया गया है। क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना मय मानचित्र सहित पृष्ठ क्रमांक 143 से 178 तक संलग्न है।
(2)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	मानचित्र संलग्न है।
(3)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है।
(4)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	आवश्यकता नहीं
(5)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	प्रमाण पत्र में संलग्न है।
11.	वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (11,12) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाईल	
(1)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	3605.600 वर्ग कि.मी.
(2)	वनमण्डल का वनक्षेत्र	862.920 वर्ग कि.मी.
	योग :-	862.920 वर्ग कि.मी.
(3)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	प्रकरण संख्या 12 रकबा 688.653 हे.
(4)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि	निरंक
(ख)	वनेत्तर भूमि पर।	निरंक
(5)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :-	
(क)	वनभूमि।	231.00 हे. पर प्रतिपूरक वनीकरण किया गया है।

(ख)	वनेत्तर भूमि पर	155.00 हे. पर प्रतिपूरक वनीकरण किया गया है।
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	जिला बालोद के अंतर्गत लोहारा रेंगाडबरी जुनापानी - चौकी मार्ग चौकीकरण निर्माण उन्नयन कार्य किया जाना है। इस मार्ग के निर्माण होने से बालोद शहर में यातायात का दबाव कम होगा, तथा इस मार्ग का चौकीकरण निर्माण होने से दुर्ग, दल्लीराजहरा, मानपुर की ओर आने-जाने वाली गाडिया सरलता से तय करेगी। बालोद जिले के यातायात के दबाव को कम किया जा सकेगा। इस प्रकार मार्ग निर्माण से जिले के साथ-साथ प्रदेश एवं सम्पूर्ण भारत लाभांवित होगा। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

202

स्थल निरीक्षण स्थल- डौण्डीलोहारा -रेंगाडबरी -जुनापानी- चौकी मार्ग
दिनांक:-08/04/2021

मयंक पाण्डेय
वनमंडलाधिकारी,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
बालोद वनमंडल बालोद